कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 (भौतिक विज्ञान) के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–3 /नियुक्ति–भौतिक विज्ञान/पीएससी–2015/2017 दिनांक–24.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम पदस्थापन आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश इसके पश्चात् जारी किए गए।

इस प्रकार दिनांक 24.06.2017 को जारी होने वाले आदेशों से संबंधित निम्नलिखित याचिकार्थीगण रामरतन व अन्य प्राध्यापक भौतिक विज्ञान ने आरपीएससी भर्ती 2015 में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय भौतिक विज्ञान ने रसायन विज्ञान व गणित के 2016 में पदस्थापित कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतनवृद्धि नोशनल लाभ हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7308/2019 रामरतन व अन्य बनाम सरकार व अन्य दायर की गई।

उक्त याचिका में माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–05–2019 में उक्त याचिका को मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राज0 सरकार व अन्य एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 व कृष्ण लाल व अन्य बनाम राज0 सरकार व अन्य एस.बी.सिविलयाचिका संख्या 19179/2017 निर्णय दिनांक 30.10.2017 से कवर्ड करते हुए निर्णय पारित किया है कि–**Writ petition is disposed of requiring the petitioners to make a representation to respondent no.2 – Director,Secondary Education, Bikaner, alongwith a copy of thisorder, who shall, after verifying the facts stated above,consider and decide the same by a speaking orderwithin a period of three months from the date of itsmaking, addressing the grievance of the petitioners forextending them the relief as prayed for, as thecandidates, who stood lower in merit, are gettingbenefit of higher pay, seniority, annual gradeincrements and other service benefits including theselection scales. If the respondent no.2 decides toplace the petitioners above in seniority than thecandidates who stood lower in merit, then thepetitioners would be entitled to all benefits of senioritybut they would be entitled only to notional benefits.**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण रामरतन व अन्य प्राध्यापक भौतिक विज्ञान द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गयें जिसमें इनके द्वारा 2016 में नियुक्ति प्राप्त रसायन विज्ञान व गणित के प्राध्यापकों के समान वरिष्ठता, वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है। उक्त न्यायिक प्रकरण में याचिकार्थीगण का विभागीय रिकॉर्ड निम्नानुसार है–

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	RAM RATAN	PHYSICS	04/12/1984	550	24/06/2017	27/06/2017
2	RAM SAWROOP	PHYSICS	01/12/1986	540	24/06/2017	28/06/2017
3	NILESH SONI	PHYSICS	23/12/1985	494	24/06/2017	28/06/2017
4	ASHOK PATEL	PHYSICS	15/11/1985	584	24/06/2017	28/06/2017

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक भौतिक विज्ञान विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 में कनिष्ठ वरियताधारी कार्मिक बिपिन शर्मा मैरिट क्रमांक 821 को नियुक्ति प्रदान की गई अभ्यर्थी बिपिन शर्मा द्वारा दिनांक 30.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थीगण रामरतन व अन्य के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 7308/2019 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 30–05–2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लेखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी बिपिन शर्मा (मेरिट क्रमांक–821) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.04 1?:31:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4172858
D:/17.12.16/desktop/court

आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में बिपिन शर्मा द्वारा दिनांक 30.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

माननीय न्यायालय निर्णयानुसार याचीकार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार व विभाग के नियमों, के अनुसार अवलोकन व परीक्षण किया गया राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(25) शिक्षा–2/2020 जयपुर दिनांक 13.01.2021 के अनुसार जिस कार्मिक ने 01 जुलाई 2017 को मध्यान्ह पूर्व परिवीक्षा पर कार्यग्रहण किया है एवं दो वर्षीय परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर 01 जुलाई 2019 को नियमितिकरण व स्थाईकरण किया जाकर नियमित वेतन स्वीकृत किया है, उस कार्मिक को प्रथम वार्षिक वेतन वृद्वि 01 जुलाई 2020 को देय होगी याचीकार्थीयों ने प्राध्यापक भौतिक विज्ञान के पद पर 27 जून व 28 जून 2017 को कार्यग्रहण किया है। इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक भौतिक विज्ञान विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा ही जारी किये गये। इससे पूर्व प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 विषय भौतिक विज्ञान में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में नियमानुसार याचिकार्थियों के रिकॉर्ड के अनुसार इन्हे किसी भी प्रकार का नोशनल परिलाभ, वरिष्ठता व वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है। उपर्युक्तानुसार नियमानुसार याचीकार्थीगण रामरतन व 3 अन्य का अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–3/भौगकृ/या.स./7308/2019/रामरतन व अन्य/नोशनल/ दिनांकः– 04/07/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव , स्कूल शिक्षा राजस्थान ,जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ।
7. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
8. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. संबंधित शाला प्रधान/प्रधानाचार्य एवं कार्मिक।
11. गार्ड पंजिका।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.04 1?:31:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4172858
D:/17.12.16/desktop/court